फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. श्री उदयलाल जी पो. देवगढ–मदारिया – 313331 – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 39 / 2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई
	दिनांक 29.05.2024	

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से जरिये पृष्ठांकित अपीलार्थी क्रमांक / निर्वा / सू0अ0 / 2024 / 47–48 दिनांक 17.05.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलकर्ता श्री गोपाल कंसारा पिता श्री उदयलाल पोस्ट देवगढ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत नगरपालिका देवगढ से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने हेतु तीन आवेदन पत्र जिनके साथ पोस्टल ऑर्डर संख्या 61एफ 955190, 61एफ 9651188 एवं 61एफ 965189 संलग्न थे, आवेदन पत्र दिनांक 27.03.2024 को कार्यालय में प्राप्त हुए। चुंकि सुचनाऐं कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका देवगढ से संबंधित होने से अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 6(3) के तहत मय आवेदन शुल्क (तीनों पोस्टल ऑर्डर) सहित उसी दिन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 24 दिनांक 27.03.2024 के माध्यम उक्त संबंधित संस्था को अग्रेषित करते हुए अपीलकर्ता को श्री गोपाल कंसारा को प्रतिलिपि देकर सूचनाएं प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया था। इसके पश्चात अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका देवगढ ने उक्त आवेदन पत्रों के साथ संलग्न तीनों पोस्टल आर्डर संख्या 61एफ 955190, 61एफ 9651188 एवं 61एफ 965189 इस कार्यालय को लौटाते हुए सूचित किया कि पोस्टल ऑर्डर नगरपालिका, देवगढ से संबंधित नहीं होने से राशि जमा होने का हवाला नहीं होने के कारण सूचनाऐ नहीं दी जा सकती है। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका देवगढ के उपरोक्त पत्र के क्रम में पोस्टल ऑर्डर उपखण्ड अधिकारी के नाम से नहीं होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 40–41 दिनांक 08.05.2024 के द्वारा मूल ऑर्डर संख्या 61एफ 955190, 61एफ

Bello

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमंद (राज.)

9651188 एवं 61एफ 965189 आवेदक श्री गोपाल कंसारा को दिए गए। उक्त लौटाए गए तीनों पोस्टल ऑर्डर के बदले आवेदक ने पुनः नए पोस्टल ऑर्डर संख्या क्रमश। 61एफ 955164, 61एफ 955165 एवं 61एफ 955166 उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा के कार्यालय को प्रेषित किए जिनके पेटे ऑफिस, नाथद्वारा से राशि प्राप्त कर नियमानुसार रसीद जारी कर अधिशाषी अधिकारी, देवगढ को अपीलार्थी को सूचना प्रदान करने हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 43-44 दिनांक 15.05.2024 द्वारा सूचित किया गया है। तथा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सूचनाऐं नगर पालिका मण्डल, देवगढ जिला राजसमन्द से संबंधित होने के कारण अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाऐं लोक सूचना अधिकारी, नगरपालिका मण्डल देवगढ से प्राप्त करें। इसके उपरान्त भी अपीलकर्ता श्री गोपाल कंसारा निवासी देवगढ मदारिया द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा के माध्यम से मांगा जाना आवेदक की मंशा पर प्रश्नचिन्ह अंकित करता है एवं ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता की मंशा दुर्भावना पूर्ण होकर व्यक्तिगत द्वेषता के कारण सूचनाऐं कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा के माध्यम से मांगी जा रही है इसके साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, देवगढ द्वारा सूचना नहीं दिए जाने पर प्रथम अपील जिला कलक्टर, महोदय राजसमन्द के स्थान पर लोक सूचना अपीलीय प्राधिकरण (अध्यक्ष), नगरपालिका मण्डल देवगढ को प्रस्तुत की जानी चाहिए थी।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा द्वारा कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 43-44 दिनांक 15.05.2024 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया वांछित सूचना संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें। अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना संबंधित कार्यालय, नगर पालिका, देवगढ से प्राप्त करें।: उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)